अति आवश्यक

निदेशक लेखा का कार्यालय
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्
पालिका केन्द्र, नई दिल्ली

परिपत्र

क्रं: डी/निदेशक(लेखा)/डी-782 /2010 दिनांक: 29.12.10

विषय: न.दि.न.पा.परिषद् के सभी कर्मचारियों द्वारा स्थाई लेखा सं0 का अनिवार्य प्रस्तुतीकरण ।

परिषद् अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से जारी इस कार्यालय के परिपत्र सं0 डी/सीएओ/डी-403/2008-09 दिनांक 31अक्टूबर, 2008 के क्रम में इस विषय पर अनुकरण में बार-बार अनुस्मारक भेजे गये है । यह अवलोकन किया गया है इस विषय पर कार्यालय संदर्भ सं0 डी(निदेशक/(लेखा)/डी-728/2010 दिनांक 14.12.10 के द्वारा जारी अन्तिम अनुस्मारक का अनुपालन संतोषजनक नहीं था । सभी विभागाध्यक्षों को उनके अधीन कार्यरत कर्मचारियों विशेषरूप में 'घ' श्रेणी) के कर्मचारियों को तत्काल अपना कर्मचारी कोड सहित पैन अधिकतम 31.12.10 तक प्रस्तुत करने हेतु कठोर अनुदेश जारी करने का अनुरोध किया गया था एवं अगर उक्त उन्होंने अपना पैन अब तक आवंटित नहीं कराया है तो यह तत्काल आवंटित करा ले । इस वैधानिक अपेक्षाओं का अनुपालन न करने के मामले में ऐसे दोषी कर्मचारियों का जनवरी 2011 मास का वेतन उनके द्वारा उक्त वैधानिक अपेक्षाओं का अनुपालन करने तक आवंटित नहीं किया जायेगा ।

जैसाकि पहले ही सम्प्रेषित किया जा चुका है, दिनांक 1 अप्रैल 2010 से आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत कर के नये प्रावधान के अनुसार, स्त्रोत पर कटौती प्रभावी हो गई हैं । निर्धारिती के स्त्रोत पर उच्चतर आयकर का भुगतान करना होगा यदि उनके पास पैन नहीं है । यह प्रावधान नियोक्ता पर 20 प्रतिशत या आयकर की उच्चतर

निर्धारित दर से स्त्रोत पर कर कटौती हेतु लागू सभी लेनदेन पर बाध्यकारी है, यदि कर हेतु जिम्मेदार व्यक्ति के पास पैन नहीं है । आयकर विभाग ने नियोक्ता के लिये अपने कर्मचारियों के साथ-साथ सभी पार्टियों से जिनसे कर की कटौती की जाती है एवं जब स्त्रोत पर कर की कटौती विवरणिका (रिटर्न) जमा की जाती है, तो पैन का उल्लेख करना पहले ही बाध्यकर (अनिवार्य) बना दिया है । पूर्व में छूट में अनुमति थी, जब नियोक्ता द्वारा स्त्रोत पर कर कटौती की फाईल की गई ऐसी विवरणिका में (रिटर्न) कुल कर्मचारियों के 5 प्रतिशत के संबंध में बिना पैन का उल्लेख किये स्वीकार कर ली जाती थी, लेकिन अब यह छूट समाप्त हो गई है । अब न.दि.न.पा. परिषद् के सभी कर्मचारियों के लिये आयकर विभाग से पैन प्राप्त करना अनिवार्य हो गया है तथा दिनांक 1 अप्रैल 2011 से इस वैधानिक आवश्यकता हेतु कोइ छूट नहीं है ।

इस विषय पर मयूर भवन स्थित आयकर आयुक्त, दिल्ली-14, के कार्यालय से प्राप्त अर्द्धसरकारी पत्र को परिषद् अध्यक्ष ने गम्भीरतापूर्वक लिया है एवं अनुमोदन किया है कि सभी दोषी कर्मचारियों का जनवरी 2011 का वेतन रोक दिया जाये, जो अपना पैन जनवरी 2011 तक प्रस्तुत नहीं करते हैं । तद्नुसार, सभी विभागाध्यक्षों से उनके अधीन कार्यरत कर्मचारियों विशेषतया 'घ' श्रेणी के कर्मचारियों को 7 जनवरी 2011 से पूर्व तक कम्प्यूटर बिलिंग अनुभाग में पैन सहित अपनी कर्मचारी कोड सं0 प्रस्तुत करने हेतु कठोर अनुदेश जारी करने का अनुरोध किया जाता है एवं उन्हें पैन आवंटित नहीं कराया गया है इसे तत्काल आवंटित करवा लें । इस वैधानिक अपेक्षाओं का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में, ऐसे दोषी कर्मचारियों का जनवरी 2011 मास का वेतन उस वक्त तक आवंटित नहीं किया जायेगा, जब तक उक्त वैधानिक अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया जाता ।

इसे उच्च प्राथमिकता दी जाये ।

(राकेश कुमार)
निदेशक (लेखा)